

सत्यब्रत साहू, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
डब्ल्यू-11042/08/2014-जल-11
दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषय: एनआरडीडब्ल्यूपी-दीर्घकालिक संरचनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जारी अनुदेश

संदर्भ: सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार अ.शा.सं.एस(एन)-1913/16/2014

नीराँचल/दिनांक 28/11/2014

प्रिय,

कृपया उपरोक्त संदर्भ में उल्लिखित पत्र की संलग्न प्रति को देखें जिसमें यह उल्लिखित है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के निदेश के अनुसार दिनांक 20-21 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में कंस्ट्रक्शन ऑफ चैक डैम्स एंड डी-सिलिंग पर एक दो-दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया गया जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

जैसा कि आपको विदित है, हमारे पेयजल स्रोत का 85% ग्राउंड वाटर पर आधारित है और अतः ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स पेयजल स्रोतों को दीर्घकाल तक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेयजल स्रोतों को दीर्घकाल तक उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी योजनाएं निर्धारित अवधि में लक्षित ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएँ।

प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में दीर्घकालिक संस्थाएँ इस उद्देश्य के लिए चिन्हित एनआरडीडब्ल्यूपी फंड के 10% के साथ एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्तर्गत कार्यान्वयन की गई हैं। दीर्घकालिक संरचना की योजना बनाते एवं लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्मित संरचनाएँ एनआरडीडब्ल्यूपी गाइडलाइंस का अनुपालन कर रही हैं। गाइडलाइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आपके संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:-

1. दीर्घकालिक संरचनाएँ अतिशेषित, नाजुक और अर्द्धनाजुक ब्लॉकों में तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में भी वरीयता के आधार पर शुरू की जानी चाहिए।
2. किसी भी पुनः सक्रिय संरचना की श्रम लागत को मनरेगा (एमजीएनआरईजीए)/इंटीग्रेटेड वाटर शेड मनैजमेंट (आईडब्ल्यूएमपी) फंड से पूरा किया जाए।
3. गाँव के वर्तमान तालाबों को पुनः सक्रिय करने के केवल सामग्री उपकरण को दीर्घकालिक उपकरण के अन्तर्गत धनराशि दी जानी चाहिए।

4. तालाबों की गाद (सिल्ट) को हटाने का कार्य केवल मनरेगा फंड से किया जाएगा।
5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान एवं प्रस्तावित पेयजल स्रोतों को इन संरचनाओं के माध्यम से सीधे पुनः सक्रिय (री-चार्ज) किया जाए, क्योंकि जल स्रोतों के समग्र प्रबंधन हेतु संरचनाएं दीर्घकालिक उपकरण के अन्तर्गत फंडिंग की हकदार नहीं हैं। तथापि संरचनाएँ जो जल स्रोतों के समग्र प्रबंधन के उद्देश्य के लिए हैं, अन्य लाइन के विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी (कन्वर्जेंस) से कार्यान्वित की जा सकती हैं। (एनआरडीडब्ल्यूपी गाइडलाइंस का पैरा .5, पृष्ठ-45)

आगे यह निवेदन है कि लक्षित दीर्घकालिक संरचनाओं के लिए अनुमानित राशि को अग्रिम रूप से स्वीकृत कराया जाएगा जिससे कि आगामी मानसून सत्र को देखते हुए निर्माण कार्य जून, 2015 तक पूरा हो जाए। दीर्घकालिक संरचनाओं पर हुई प्रगति को आईएमआईएस पर दर्ज किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक संरचनाओं को बनाने के लिए सही लोकेशन का चयन करने का चयन करने के लिए, एचजीएम नक्शे का उपयोग किया जाए क्योंकि अनेक राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं।

दीर्घकालिक संरचना-2014-15 (प्रतिलिपि संलग्न) के लिए आईएमआईएस में उल्लिखित नवीनतम प्रगति दिखाती है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही पूर्ण हो गई है फिर भी सभी राज्यों के संबंध में पूर्ण की गई संरचनाओं की संख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिल नाडु, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को छोड़कर बहुत कम है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम की समीक्षा करने और वित्तीय वर्ष की बची हुई अवधि में प्रगति में तेजी लाने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय

(सत्यब्रत साहु)

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव सभी राज्यों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग के प्रभारी

Ministry of Drinking Water & Sanitation
National Rural Drinking Water Programme

FORMAT - 7 State wise Number Of Sustainability Structures Target vs Achievement

Financial Year:-2014-2015 Status:-All State

| S.No. | State | Pits And Trenches | Check Dams | Perco Lation Tanks | Point Source Recharging (Conversion Of Detunct Borewells) | Dug- Wells/ Injection/ Skimming Wells | Ooranies/ Village Ponds/ Traditional Water Bodies | Roof Top Water Harvesting | Others | Total | Total Source Benefited | Total Habs TakenUp ** | Total Estimated Cost | Proposed Expeniture In 2014-15 | Actual Expeniture Till Date | | | |
|-------|--|-------------------|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | | |
| 1 | ANDHRA PRADESH (Data Under Reconciliation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.73 | | |
| 2 | BIHAR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.98 | | |
| 3 | CHATTISGARH | 330 | 5 | 258 | 82 | 55 | 11 | 50 | 4 | 25 | 0 | 10 | 1 | 2516 | 107 | 4309 | 147.90 | |
| 4 | GOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 5 | GUJARAT (Data Reconcilled On 14/08/2014) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 17 | 0.00 | |
| 6 | HARYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 7 | HIMACHAL PRADESH | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 1.00 | |
| 8 | JAMMU AND KASHMIR | 4 | 0 | 128 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 | 150 | 5 | 418 | 99 |
| 9 | JHARKHAND | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 58 | 0 | |
| 10 | KARNATAKA | 110 | 5 | 1009 | 80 | 117 | 8 | 0 | 0 | 159 | 0 | 38 | 9 | 27 | 1 | 211 | 9 | 1671 |
| 11 | KERALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MADHYA PRADESH | 66 | 26 | 644 | 129 | 17 | 6 | 35 | 4 | 79 | 26 | 1 | 1 | 115 | 30 | 1171 | 291 | 2128 |
| 13 | MAHARASHTRA | 139 | 49 | 55 | 37 | 4 | 1 | 0 | 6 | 36 | 3 | 10 | 2 | 3755 | 1550 | 4005 | 1647 | 872 |
| 14 | ODISHA | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 | 77 | 15 | 917 |
| 15 | PUNJAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 63 | 6 | 58 |
| 16 | RAJASTHAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 99 | 77 | 12 | 8 | 151 |
| 17 | TAMIL NADU | 20 | 4 | 505 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0 | 0 | 146 | 83 | 711 | 326 | 163 |
| 18 | TELANGANA (Data Under Reconciliation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | UTTAR PRADESH (Data Under Reconciliation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6742.73 |
| 20 | UTTARAKHAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.57 |
| 21 | WEST BENGAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.92 |
| 22 | ARUNACHAL PRADESH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 |
| 23 | ASSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | MANIPUR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | 53 | 25 | 2 | 107 | 55 | 23 |
| 25 | MEGHALAYA | 0 | 0 | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 15 | 34 |
| 26 | MIZORAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75 |
| 27 | NAGALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.94 |
| 28 | SIKKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.25 |
| 29 | TRIBHURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 30 | ANDAMAN And NICOBAR (Data Under Reconciliation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | CHANDIGARH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | DADRA And NAGAR HAVELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | DAMAN And DIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | DELHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | LAKSHADWEEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | PUDUCHERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total | 1471 | 92 | 2709 | 591 | 197 | 26 | 89 | 8 | 380 | 31 | 264 | 33 | 3223 | 438 | 101572357 | 184903776 | 6777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128863 77475.35338906 0228239.49 |

* All Amount in lakhs
Source: <http://indiawater.nic.in>

वंदना कुमारी जेना, भा.प्र.से.
VANDANA KUMARI JENA, t.A.S.



सचिव
भारत सरकार
भूमि संसाधन विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
SECRETARY
Government of India
Department of Land Resources
Ministry of Rural Development

D.O. No.S(N)-19013/16/2014-Neeranchal

28th November, 2014

Dear,

Vijayakarne

In view of the preparations for Monsoon 2015 and as per the directions of the Prime Minister, a two-day workshop on Construction of Check Dams and Desilting was held in New Delhi on 20-21 November 2014, in which representatives from your Ministry/State participated. The workshop had detailed discussions on the construction of check dams and rain water harvesting structures and the need for taking up desilting in a concerted way as advance preparations for Monsoon 2015. The representatives from various Ministries and Departments viz, Agriculture and Cooperation, Water Resources and Rural Development talked about their schemes under which this work could be carried out. Members of the civil society and representatives of the Corporate sector also spoke about the involvement of the community and corporate houses.

During the course of the workshop, it was decided that:

- 1) All the SLNAs implementing IWMP in the States would organise a one day workshop at the State and District levels on the above topic to sensitise and educate stakeholders and communities by December end.
- 2) The Ministries would give special directions to their implementing agencies to identify sites for construction of new water harvesting structures, if not done already, and wherever necessary, desilting, repair and rejuvenation of existing structures. Construction of water harvesting structures where estimates have been sanctioned and are part of the Ministry/Department/States' work plans should start immediately.
- 3) This work of identifying and preparation of estimates for all new structures and works should be done by end February 2015 so that the construction and/or desilting activity would be over by end May 2015.
- 4) A proper Monitoring and Evaluation system should be put in place for these works. This would include using various methodologies like Remote Sensing, GPS and ground truthing, before and after photos, physical inspections, etc.

Copy H(PHE)


Lmb

03/12/14

- 5) Examples of schemes of various Ministries/Departments under which this work can be carried out is given below. However, the Ministries/Departments and State governments are free to converge other schemes not mentioned for this activity:
- a. Agriculture – NMSA, ATMA (for educating farmers on the benefits of silt), NHM, RKVY
 - b. Water Resources – RRR (having integration with IWMP)
 - c. Rural Development – MNREGS
 - d. Panchayati Raj – BRGF
 - e. Drinking Water – NRDWP
- 6) It may be mentioned that no special funds for the purpose will be given for this activity. The Ministries will have to incorporate this work within their existing allocations and States could use the Flexi funds or funds under the State schemes, if any, for the purpose.

I would be grateful if a copy of the instructions given by your Ministry/Department/State is sent to me for onward submission to the PMO.

With regards

Yours sincerely,

(Vandana Kumari Jena)

Smt. Vijaylaxmi Joshi
Secretary,
Government of India,
Ministry of Drinking Water & Sanitation,
C-Wing, 4th Floor, Paryavaran Bhavan,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi